

## ::- सूचना ::-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 के अनुसार वर्ष 2022 में शासन/विभागाध्यक्ष स्तर पर होने वाले स्थानान्तरण हेतु विभाग में कार्यरत कार्मिकों की, सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र एवं दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण एवं अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण चाहने वाले कार्मिकों के प्राप्त विकल्पों का विवरण विभागीय वेबसाईट [www.minorirrigation.uk.gov.in](http://www.minorirrigation.uk.gov.in) पर अपलोड किये जाने हेतु जारी की जा रही है।



(सुरेश चन्द्रा)

स्टाफ अधिकारी,

कृते मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,

लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,

देहरादून।

कार्यालय मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,  
लघु सिंचाई भवन, लेन नं० 3, इन्द्रप्रस्थ कालोनी, नत्थनपुर, देहरादून।

संख्या **578** / ल०सि० / स्था०-23(5-स्थाना०) / 2022-23 दिनांक : **20** जून 2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई वृत्त, उत्तराखण्ड।
2. समस्त अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।



(सुरेश चन्द्रा)

स्टाफ अधिकारी,

कृते मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,

लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,

देहरादून।